अधिसूचना | नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 23/2016-सीमाशुल्क

सा0का0नि0.......(अ)- केंन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 72/94-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1994 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 184(अ), तारीख 1 मार्च, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले वायुयान के पुर्जों को, जब उनका मानक विनिमय स्कीम के अधीन भारत में आयात किया जाता है, उन पर उदग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जितना उस सीमाशुल्क से अधिक है, जो उन पर उस समय उदग्रहणीय होता यदि उक्त पुर्जों का मूल्य दोनों ओर की मानक विनिमय लागत, बीमा और भाड़ा प्रभारों को जोड़ कर तय किया जाता, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है अर्थात्:--

(i) ऐसे पुर्जों की मरम्मत की गई है या उनका ओवरहाल किया गया है या उन पुर्जों का मरम्मत या ओवरहाल के लिए आयात किया गया है और वे नए पुर्जे नहीं हैं ;

(ii) आयातकर्ता और निर्यातकर्ता ने मानक विनिमय करार किया है;

(iii) आयातकर्ता नागर विमानन महानिदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत है ;

(iv) निर्यातकर्ता या आयातकर्ता द्वारा प्रभारित मानक विनिमय लागत अंतिम है ;

(v) उक्त मानक विनिमय करार के अधीन मरम्मत या ओवरहाल के लिए वायुयान के पुर्जों की मरम्मत या ओवरहाल के संबंध में आयात या निर्यात किए गए वायुयान के पुर्जों की बाबत शुल्क की वापसी का दावा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा; और

(vi) आयातकर्ता, निकासी के समय निर्यातकर्ता से निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि :--

(क) आयात किए गए पुर्जों का मानक विनिमय स्कीम के अधीन बनाए रखे गए मरम्मत या ओवरहाल किए गए पुर्जों के पूल से प्रदाय किया गया है और ऐसे पुर्जे नए पुर्जे

नहीं हैं और ; मरम्मत या ओवरहाल के लिए प्रभारित मानक विनिमय लागत अंतिम है ; या

(ख) आयातकर्ता को पुर्जे मानक विनिमय स्कीम के अधीन मरम्मत या ओवरहाल के लिए भेजे गए और ऐसे पुर्जे नए पुर्जे नहीं हैं ;

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :--

(1) "मानक विनिमय स्कीम" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसके अधीन वायुयान के मरम्मत या ओवरहाल किए गए पुर्जों का निर्यातकर्ता ; या मरम्मत या ओवरहाल किए पुर्जों का आयातकर्ता, ऐसे पुर्जे के विनिमय में मरम्मत या ओवरहाल किए हुए पुर्जों की आपूर्ति के लिए करार करता है ;

(2) "मानक विनिमय करार" से मानक विनिमय स्कीम के अधीन किया गया कोई करार अभिप्रेत है ;

(3) "मानक विनिमय लागत" से मानक विनिमय स्कीम के अधीन वायुयान के पुर्जों के निर्यातकर्ता या आयातकर्ता द्वारा प्रभारित मरम्मत या ओवरहाल की लागत अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसी मरम्मत या ओवरहाल के लिए प्रयुक्त सामग्री, यदि कोई है, के लिए प्रभार भी हैं ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार